संख्या: 3/2016/322/49-3-2016-100(9)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 26 फरवरी,2016

विषय- वर्ष 2014-15 में प्रदायकर्ताओं के बिक्री हेतु अवशेष सम्भार के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में उर्वरकों की प्रीपोजीशनिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ में से रू0 7,14,57,801.00 की प्रतिपूर्ति के संबंध् में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 72/कृषि निवेश, दिनांक 19 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदायकर्ताओं के बिक्री हेतु अवशेष सम्भार के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में उर्वरकों की प्रीपोजीशनिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ में से ब्याज मद में रू0 3,30,70,423.68 एवं भण्डारण मद में रू0 3,83,87,377.52 कुल रू0 7,14,57,801.00 (रू0 सात करोड़ चौदह लाख सत्तावन हजार आठ सौ एक) मात्र की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है ।

2- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

3- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-16/2015/586/49-3-2015-100(9)/2012, दिनांक 09अप्रैल, 2015 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2016 तक उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

6- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- ई-2-184/दस-16, दिनांक 24-2-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

-----2/----

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या: 3/2016/322(1)/49-3-2016,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/2/2016-सी0एक्स(1), दिनांक 16फरवरी,2016 के सदर्भ में।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,32स्टेशन रोड, लखनऊ ।
7- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0(नवें तल), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in